का पेश हो।

23/12/25 — पुकार. पेश हुई प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि दावा
वादी आज पेशी आज दावी में खारिज किया जा चुका है
अतः प्रा.पत्र 212 आदेश का कोई औचित्य शेष नहीं
रह जाता है प्रा.पत्र को खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर